International Journal of Multidisciplinary Education and Research
ISSN: 2455-4588; Impact Factor: RJIF 5.12
www.multieducationjournal.com
Volume 1; Issue 3; May 2016; Page No. 66-71

सती प्रथा एवं जौहर परम्पराओं में झुलसती नारी

अर्चना मिश्रा

शोध छात्रा इतिहास, अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा (म.प्र.)

सारांश

मध्य कालीन भारत का दायरा काफी कुछ विस्तृत है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के समाप्त होते ही मध्यकाल या यूँ कहें हिन्दू मध्य काल या राजपूत काल की शुरुआत हो जाती है। इस राजपूत काल में कुछ ऐसी परम्परायें प्रवर्तित हुई, जो जीवन से जुड़ गई। सती परम्परा व जौहर परम्परा उनमें से प्रमुख हैं। अतीत काल में सती प्रथा के जोर पकड़ने के पीछे समाज में विधवा की स्थिति में गिरावट थी। धर्मशास्त्रों में भी सती प्रथा के विषय में उल्लेख इसके सामाजिक मान्यता तथा स्वीकृति का कुछ संकेत है। सती प्रथा को समाज में सामान्य रूप से प्रचलित नहीं माना जा सकता है। राजपूत जब युद्ध में बलिदान के लिये कूद पड़ते थे तब उस दुर्ग की सभी औरतें अग्नि–कुण्ड में कूदकर जौहर कर भष्म हो जाती थीं। इस परम्परा का अनुकरण राजपूतानियाँ ही नहीं उनकी परिचारिकायें भी करती थीं। हजारों–हजार स्त्रियाँ इस प्रकार जौहर में जिन्दा जलकर राख हो जाती थीं।

शब्द कुंजीः सती प्रथा, जौहर परम्परा, इतिहास, नारी

1 प्रस्तावना

एस.एस. अल्तेकर के अनुसार ब्राह्मणों में सती प्रथा 1000 ई. के बाद प्रारंभ हुई। प्रारंभ में यह प्रथा योद्धा जाति में थी। पथभ्रष्ट होने से बचाने तथा स्वर्ग में भी प्रिय पति से मिलने के लिय भी यह प्रथा प्रचलित थी। [16] जब विधवा पति के शव के साथ प्रवेश कर जल जाती थी तो इसे सहमरण सहगमन या अन्वारोहण कहा जाता था। जब पति कहीं और मर जाता था, बिना पति के शव के उसके कुछ प्रतीक जैसे भस्म पादुका आदि के साथ उसकी विधवा पत्नी जल जाती थी तो इसे अनुमरण कहा जाता था। [2] सती होने वाली स्त्रियों के साहस की प्रशंसा भी मिलती है। [3] प्रभाकरवर्धन की मृत्यु सन्निकट देखकर उसी पत्नी यशोमति ने पति की मृत्यु से पूर्व ही अपने को अग्नि में जला दिया था। [4] गुप्त संवत् 191 या (510 ई.) के ऐरण प्रस्तर अभिलेख में गुप्त नरेश भानुगुप्त के मित्र गोपराज के हूड़ों के विरुद्ध मारे जाने पर उसकी पत्नी अग्नि में जलकर सती हो गयी थी। [5]

मध्यकालीन राजनीति में राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी सुल्तान होता था। शासन की संपूर्ण प्रभुसत्ता उसमें निहित थी। वह शक्ति का केन्द्र था। सर्वसाधारण उसे समाज का आदर्श मानता था। उसके नाम का फतवा पढ़ा जाता था तथा सिक्कों पर उसका नाम खोदा जाता था। सुल्तान निरंकुशता से शासन करने में अपना गौरव समझते थे यदि उसे राज्य का सर्वोच्च कहा जाये तो अतिश्योक्ति न होगी। [6]

नारी का मनुष्य–जाति की उत्पत्ति में ही नही वरन् समाज निर्माण में भी नारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक बेटी, बहन, पत्नी और और माता के रूप में वह अपने कर्त्तव्यों का पालन करती हुई जीवन का उद्देश्य व्यक्त करती है, उसी से सम्पूर्ण मानव जाति के भाग्य का निर्णय होता है। [7]

705 ई. के नेपाल अभिलेख में धर्मदेव की विधवा राजवती अपने पुत्र महादेव को शासन भार संभालने को कह कर सती होना चाहती थी। [8] शक संवत् 979 के चेलतुरू अभिलेख में देकव्यय नामक शूद्र स्त्री के पति की मृत्यु पर माता–पिता के मना करने पर भी सती होने का उल्लेख है। उसकी स्मृति में उसके माता–पिता ने स्तंभ खड़ा किया था। [9] राजा अनंत की रानी जब सती हुई थी तो उसकी चटाई ढोने वाला कुछ अन्य पुरुष तथा तीन दासियाँ भी अनुगामी हुए थे।[10] चंद्रराज की माता गज्जा अपने एकमात्र पुत्र के भरने पर सती हुई थी। [11] पुरुष भी सहमरण या अनुमरण करते थे। [12] अल्बेरूनी ने लिखा है कि पति की मृत्यु के बाद जीवनपर्यन्त विधवा रहना या अपने को जला देना दो विकल्प थे। विधवाओं का जीवन कठिन था अतः वे जलना अधिक पसंद करती थीं। [13] अबुल फजल ने सती होने वाले स्त्रियों के कई प्रकरण बताये हैं। संबंधियों द्वारा सती होने के लिये बाध्य विधवाएँ, स्वेच्छापूर्वक सती होने वाली विधवाएँ, जनमानम की माँग पर सती होने वाली, पारिवारिक परंपरा व रीति–रिवाज के कारण सती होने वाली तथा बलपूर्वक सती होने के लिये आग में डाल दी जाने वाली विधवाएँ थीं। [14]

मेधातिथि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या कहा है। [15] पी.वी. काणे के अनुसार सती प्रथा के पीछे पौरोहितक या धार्मिक दबाव नहीं था, जो स्त्रियाँ सती होने के अनिच्छुक थी वे सती नहीं होती थीं। [16] राजा गोपाल वर्मा (10 वीं) की रानी नंदा तथा राजा शंकर वर्मा की रानी सुगंधा भी सती नहीं हुई थी। [17] शंख एवं अंगिरा के अनुसार स्त्री पति के मृत्यु का अनुसरण करती हैं वह मनुष्य के शरीर पर पाये जाने वाले रोमों की संख्या के तुल्य वर्षों तक स्वर्ग में रहती है (अर्थात् तीन करोड़ वर्ष तक)। जिस प्रकार सपेरा–सांप को बिल से खींच लेता है उसी प्रकार सती होने वाली स्त्री अपने पति को खींच लेती है तथा कल्याण प्राप्त करती

है। सती होने वाली स्त्री अरुधंती के समान स्वर्ग में यह पाती है।[18] हारीत के अनुसार सती होने वाली स्त्री तीन कुलों को अर्थात माता, पिता तथा पति के कुलों को पावन कर देती है। विज्ञानेश्वर ने सती प्रथा को ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक की स्त्रियों के लिये समान रूप से श्रेयस्कर माना है, किंतु गर्भवती तथा छोटे बच्चे वाली स्त्री को सती होने से रोका है। [19] स्मृतिचंद्रिका के अनुसार अन्वारोहण ब्रह्मचर्य से निकृष्ट है। अन्वारोहण के फल ब्रह्मचर्य से हल्के पड़ जाते हैं। [20]

नारी समाज में एक बड़ी विचित्र तथा प्रचलित थी। पति की मृत्यु के पश्चात कुछ परिस्थितियों में हिंदू पत्नी के जलने की क्रिया को सती प्रथा कहा जाता था और जो स्त्री जलती थी उसे सती कहा जाता था। साधारणतः यह प्रथा हिंदू समाज के उच्च वर्ग तक सीमित थी। राजपूतों की वीर जातियाँ इसका विशेष समर्थन करती थीं। निम्न वर्गों की नारियाँ तो अपने पति को अर्थी के साथ श्मशान तक भी न ला सकती थीं। [21] आत्मबलिदान काक बंधन पारंपरिक नहीं था क्योंकि पत्नी की मृत्यु होने पर पति के साथ यह नियम लागू नहीं होता था। सल्तनत काल में प्रथा अनिवार्य नहीं थी फिर भी यह प्रथा प्रचलित थी।

नारी दो प्रकार से सती होती थी। एक तो पति के शव के साथ ही जलकर पत्नी समाप्त हो जाती थी। दूसरे वह शव के साथ न जलकर पति के किसी वस्तु के साथ जलकर अपने आपको समाप्त कर लेती थी। [22] सती प्रथा का मुख्य कारण यह था कि हिंदू समाज विधवा को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। हिंदू विधवा को बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था इसलिये शेष जीवन भर कष्ट उठाने की अपेक्षा थोड़े देर कष्ट पाना अच्छा समझती थीं।

सती प्रथा भारत में नारी इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु है। यह प्रथा हिन्दू धर्म में रंक से राजा और झोपड़ी से महल तक प्रचलित थी। क्या सती प्रथा भारत में जन्मी या विदेशों की देन है? ब्राह्मण साहित्य 1500 ई. पूर्व से 700 ई.पू. तक गृह्यसूत्र 600 से 300 ई.पू. सती प्रथा का उल्लेख नहीं करते हैं। महाकाव्य काल में सती प्रथा का अस्तित्व था। वेदवती की माता सती हो गई थी।

रामायण में जब रावण के समक्ष राम के गिरने का मायावी दृश्य उपस्तिथत किया था। उस समय सीता ने सती होने की इच्छा व्यक्त की थी, परन्तु कहा जाता है कि वे विवरण रामायण में बाद में जोड़े गये हैं। मूल रामायण में सती प्रथा का उदाहरण नहीं है। रावण के पुत्र इन्द्रजीत (मेघनाथ) की पत्नी सुलोचना के सती होने का उल्लेख रामायण में मिलता है। महाभारत में उल्लेख आया है कि पाण्डु की पत्नी नकुल सहदेव की माता माद्री होने जा रही थी। इसके दो कारण है कि वह कहती मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाऊँगी क्योंकि का रोग से पीड़ित पाण्डु की मृत्यु का कारण मैं ही हूँ। मैं अपने पुत्रों व कुन्ती के पुत्रों में समानता का व्यवहार नहीं का कर पाऊँगी। इसलिए मैं सती होना चाहती हूँ। इस संदर्भ में ऋषियों ने मना करने की कोशिश की। यहाँ सती होने का कोई धार्मिक कारण नहीं था बल्कि स्वाभाविक कारण है। महाभारत में कौशलपूर्व में वासुदेव की चार पत्नियाँ थी। 1. देवकी, 2. भद्रा, 3. रोहणी, 4. मादिरा, ये सभी सती हुई थी। एक अन्य उहारण में कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रुक्मणी, गांधारी, सर्हया, हेमवती और जाम्बवन्ती सती हुई थी, [23] लेकिन महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये सब पति शव के साथ सती नहीं हुई थी, फिर भी महाभारत में इन्हें सती माना है। महाभारत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया है कि यादव कुल की कोई पत्नी सती हुई, परन्तु पद्मपुराण के उत्तराखण्ड में कहा गया है कि यादव वंश की सारी नारियाँ सती हुई थी।

भारत में सती प्रथा का सर्वप्रथम ऐतिहासिक प्रमाण कर्टियस की दोनों पत्नियों में (316 ई.पू.) युद्धभूमि में मारे जाने पर अपने पति के साथ चिता में जलने की उत्सुकता जताई जाती है। यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो का कथन है कि यह प्रथा पंजाब की एक जाति में बहुत पहले से प्रचलित थी। स्मृति में सबसे पहलें 121 ई. कि विष्णु स्मृति को विष्णु धर्म स्मृति भी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई विधावा चाहे तो अपने पति के मार्ग का अनुसरण कर सकती है और वह सती हो सकती है। विष्णु स्मृति में कोई धार्मिक कारण नहीं बताया गया है क्योंकि विष्णु स्मृति में विधवा पुनःविवाह तथा पत्नी को पति का उत्तराधिकारी बताया गया है। सती प्रथा चौथी शताब्दी में ज्यादा प्रचलित हो गई थी। वात्स्यायन का कामसूत्र, शूद्रक तथा कालिदास की कृतियों में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। वात्सायन ने सती प्रथा का सीधे उल्लेख नहीं किया है, वह कहता है कि चतुर लड़की अपने प्रेमी पर पूरा विश्वास जताने के लिये कहती है कि मैं सती हो जाऊँगी उस समय सती परम्परा रही होगी क्योंकि वह कसम खाती है। भास का नाटक दूत–घटोत्कच्छ और उरभंग में वर्णन है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जयद्रथ की पत्नी दुःशला और दुर्योधन की पत्नी पौरवी सती हुई थी। कालिदास के कुमार संभवम् में उल्लेख मिलता है कि रति कामदेव के साथ सती होना चाहती थी। परन्तु स्वर्ग से आवाज आई और उसे ऐसे करने से रोक दिया था। मृच्छकटिका में शूद्रक चारुदत्त की पत्नी अपनी पति की सम्भावित मृत्यु के पूर्व ही सती होना चाहती थी। वृहस्पति और पाराशर ऋषि कहते हैं कि चाहे तो सन्यासिन का जीवन जी सकती है या सती हो जाये। अग्निपुराण में कहा गया है कि अगर कोई पत्नी पति के साथ स्वर्ग जाना चाहती है तो वह सती हो जाये।

मनुस्मृति के टीकाकार इसका विरोध करते हैं। बाणभट्ट इसे मूर्खों की प्रथा कहते हैं। महानिर्वाण तंत्र भी इस प्रथा का विरोध करते हैं। 12वीं शताब्दी ई. का लेखक देवणभट्ट दक्षिण भारत के लेखक मानते हैं कि सती प्रथा निम्न कोटि का धर्म है और इसे स्वीकारना नहीं चाहिए। सुलेमान अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर आया था। वह कहता है कि कभी–कभी राजा की मृत्यु के बाद उसकी रानियाँ व दासियाँ उसकी चिता पर चढ़ जाती थी किन्तु यह करना अपनी इच्छा पर निर्भर था।

सती मूलतः क्षत्रियों की प्रथा थी। उद्धृत दैवत में कहा गया है कि यह प्रथा क्षत्रियों के लिये है। पद्मपुराण के ऋषिखण्ड में ब्राह्मण स्त्री को सती होने से मना किया है। 12वीं, 14वीं सदी के टीकाकार याज्ञवलक्य स्मृति के व्याख्याकार माधव ब्राह्मण भी सती की बात करते हैं। राजस्थान में 1000 ई. के उदाहरण मिलते हैं ये दोनों चौहान राजाओं के हैं। [23] चौहान शासक चण्डमहासेन की पत्नी 842 ई. में सती हुई थी। 890 में घटियाला की सम्पल्ल देवी सती हुई 1200 से 1600 के बीच राजस्थान में सती होने के 20 उदाहरण प्राप्त होते हैं। परन्तु ये अधिकांश क्षत्रिय परिवारों के हैं। म.प्र. के महाकौशल क्षेत्र में सती स्तम्भ से पता चलता है कि बुनकरों, नाईयों व शिल्पियों में 1500 से 1800 के बीच सती हुई थी। कर्नाटक से प्राप्त अभिलेखों में जैन सम्प्रदाय के दो उदाहरण मिलते हैं। आधुनिक युग के विभिन्न शासकों की पत्नियों के सती होने के प्रमाण इस प्रकार हैं–

- महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु के बाद उसकी चार रानियाँ व सात दासियाँ सती हुई थी।
- महाराजा कर्णसिंह की मृत्यु के पश्चात् तीन रानियाँ सती हुई।
- किशोर सिंह की मृत्यु के पश्चात् 24 रानियाँ सती हुई।
- हरिसिंह की मृत्यु के पश्चात् 310 रानियाँ सती हुई।

1792 में रानी अहिल्याबाई की लड़की मुक्ताबाई अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध सती हो गई थी। [25]

मुस्लिम शासकों द्वारा विरोध

इससे पूर्व मुस्लिम शासक भी इस प्रथा को पसन्द नहीं करते थे।

अकबर इस प्रथा को बंद करवाना चाहता था। खासकर के उन महिलाओं को जो बच्चा पैदा करने की अवस्था पार कर चुकी हैं। सल्तनत युग में स्त्रियों की दशा के अन्तर्गत सती–प्रथा का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि कानून के अनुसार इसे अभी कुछ समय पूर्व ही बन्द किया है जो पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात् उसके साथ ही चिता में जल जाती है, उसे 'सती' कहते हैं। यह प्रथा उच्च वर्ग के हिन्दुओं एवं मुख्यतया राजपूतों में प्रचलित थी। स्त्री अपने पति के साथ दो प्रकार से सती हो सकती थी जिसे निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है–

(1) सहमरण या सहगमन,

(2) अनुमरण या प्रतीक मरण

सहमरण

जिस पत्नी को पति का मृतक शरीर उपलब्ध हो जाता था वह उसी के साथ जल जाती थी, उसे 'सहमरण' अर्थात् पति के साथ जल जाना कहते थे। इसको कभी–कभी 'सहगमन' भी कहते थे।

अनुमरण

अनुमरण में स्त्री अपने पति की किसी वस्तु के साथ जलती थी। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो वह पुत्र उत्पन्न करने के लिए पश्चात् अपने पति की वस्तु के साथ जल जाती थी। इसको 'अनुमरण' भी कहा जाता है। यदि किसी राजा के एक से अधिक पत्नियाँ होती थी तो पटरानी पति के साथ जलती थी शेष पृथक अग्नि में जलती थी। यदि कोई स्त्री सती नहीं होती थी तो यह समझा जाता था कि उसका चरित्र भष्ट है।

इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक ''रहला–ए–इब्नबतूता'' में एक स्त्री के सती होने का निम्न प्रकार से वर्णन किया है–''अपने पति की मृत्यु के समाचार सुनकर पत्नी ने सर्वप्रथम स्नान किया इसके पश्चात् वह अपने शरीर पर बहुमूल्य वस्त्र एवं जवाहररात धारण करके सती होने के स्थान पर गई। ब्राह्मण तथा अन्य सम्बन्धी भी उसके साथ थे जो एक छायादार वृक्ष के नीचे संगीत के साथ यह जुलूस प्रारम्भ हुआ था। सती होने के स्थान पर पानी का एक तालाब था और वहीं पर एक पत्थर की प्रतिमा थी। तालाब के पास ही विशाल अग्नि पज्ज्वलित हो रही थी। छायादार वृक्षों की आड़ में सती ने स्नान किया तथा अपने प्रत्येक बहुमूल्य वस्त्र एक–एक करके अग्नि को भेंट किए। इसके पश्चात् उसने एक लम्बी चादर–सी अपने शरीर पर डाली और अग्नि की प्रार्थना करके उसमें प्रविष्ट हो गई। इसी समय वाद्य यन्त्र बजने लगे। अन्य लोगों ने जलती हुई स्त्री पर भारी लट्ठे रख दिये, ताकि वह भाग न सके।'' इब्नबतूता इस दृश्य को देखकर बेहोश हो गया और इसका आगामी वर्णन हमकों प्राप्त नहीं होता है। [26]

सती प्रथा को प्रोत्साहन एवं बल

सती प्रथा को प्रोत्साहन देने का श्रेय हिन्दू जाति एवं उसमें प्रचलित मान्यताओं को है, वहाँ विधवा को हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए स्त्रियाँ यह सोचती थीं कि सम्पूर्ण जीवन हीन एवं पशुवत नरकीय दशा में व्यतीत करने की अपेक्षा जल जाना ही श्रेष्ठ है। यह जनता एवं उस समय का धार्मिक विचार था कि स्त्री का प्रमुख कर्त्तव्य सती होना है। एक विधवा का अपने पति के साथ सती न होना उसके लिए ही नहीं, वरन् उसके परिवार के सदस्यों के लिए भी अपमान व शर्म की बात थी।

निकोलों कोन्टी के अनुसार यदि स्त्री सती नहीं होती थी तो उनके पति की सम्पत्ति उसके बच्चों के स्थान पर अन्य रिश्तेदार को दे दी जाती थी।

स्त्रियाँ सती क्यों होती थी? इसका उत्तर अबुलफजल ने निम्न कारण बताते हुए दिया है–

- वे स्त्रियाँ जो अपने संबंधियों द्वारा सती होने पर बाध्य की जाती थी।
- जो अपने मृत पति से इतना प्रेम करती थीं कि उसका साथ किसी भी दशा में नहीं छोड़ सकती थी।
- जनता की दृष्टि में अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान रखने के लिए सती हो जाती थी।
- अनेक परिवार के रीति–रिवाजों के कारण सती होती थी।
- अपनी इच्छा के विरुद्ध अग्नि में फेंक दी जाती थी।

सती प्रथा को रोकने के प्रयास

सती प्रथा का रोकने के लिए सल्तनत युग में भी प्रयत्न हुए। इब्नबतूता के अनुसार जब कोई स्त्री सती होना चाहती थी तो उसे उसके परिवार के सदस्य को दिल्ली सुल्तान से आज्ञा–पत्र लेना पड़ता था। अर्थात् सुल्तान इस प्रथा के विरुद्ध होते थे। अतः अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई स्त्री सती नहीं हो सकती थी। बगैर ठोस कारण बताए अनुमति नहीं दी जाती थी, परन्तु सुल्तान को तर्कों के आधार पर आज्ञा–पत्र देना ही पड़ता था। इस तरह भारत वर्ष में यह प्रथा प्राचीन काल से आधुनिक काल तक प्रचलित रही, जो राजा से रंग और महल से झोपड़ी तक प्रचलित थी। जिसने इतिहास में महिलाओं की स्थिति को सदैव चर्चित रखा।

मुगल शासक सती प्रथा के दोषों को समझता था, मुस्लिम समाज में यह प्रथा नहीं प्रचलित थी। हुमायु पहला शासक था जिसने ऐसी विधवाओं के सती होने पर पूरी रोक लगाने का विचार किया था। समाज सुधान का यह साहसपूर्ण कदम था। सम्राट अकबर ने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। उसने यह आज्ञा दी कि स्त्री को बलात सती नहीं करवाया जा सकता। ऐसा करने वाले को दंड दिया जाता था। सती प्रथा को रोकने के लिये नगर के कोतवाल को आदेश दिये थे। [27] एक बार बादशाह अकबर ने स्वयं एक स्त्री को सती होने से बचाया था। जौहर प्रथा का प्रचलन मुस्लिम समाज में नहीं था।

इस प्रकार उत्तर मध्यकाल में नारी समाज में अनेक रीतियाँ प्रवेश कर गईं जिससे नारी की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तर मध्यकालीन समाज में गायिकाओं, वेश्याओं एवं देवदासियों का एक अलग वर्ग था। इस वर्ग की नारियाँ अमीरों की कामाग्नि को समाप्त करती थीं। इन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता था। अकबर ने इसकी दशा सुधारने के लिये एक अलग मोहल्ले की व्यवस्था कर दी थी। औरंगजेब ने भी वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया था। इस तरह उत्तर मध्यकाल में हिंदू व मुस्लिम नारियों की दशा अच्छी न थी।

यह सत्य है कि उत्तर मध्यकाल में नारियों की दशा अच्छी नहीं थी। इस पर भी साधारणतया घरों में स्त्रियों का आदर होता था तथा पुत्र–पुत्रियाँ उन्हें सम्मान देते थे। उन्हें माँ के रूप में आदर दिया जाता था। पुत्र उनकी आज्ञा का पालन करना अपना कर्त्तव्य समझत थे। परिणामस्वरूप इस युग की अनेक स्त्रियों ने भारत के इतिहास में अपना स्थान बना लिया। मुगल काल में शाही घराने की स्त्रियों की स्थिति अर्थात् उच्च वर्ग की स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उन्हें कुछ विशेष सुविधायें प्राप्त थीं। [28]

भारत में मध्यकाल से पूर्व ही सती प्रथा शुरू हो गयी थी। हिन्दू मध्यकाल में सती प्रथा का प्रचलन बड़ गया था। राजपूतों में यह प्रथा काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। राजपूत नारियाँ खुशी–खुशी सती हो जाती थी। नारी इस समय दो प्रकार से सती हुआ करती थी– सहमरण एवं अनुमरण। पति के परिवार में रहते हुए मरने पर उसकी पत्नी मृत पति के साथ जलकर जब मरती थी, तब वह सहमरण कहलाता था। पति के किसी युद्ध आदि में मरने पर उसकी सूचना पाकर चिता में जलकर मरती थी, तब वह अनुमरण कहलाता था। धीरे–धीरे सहमरण की प्रथा समाज में बलवती होती

गयी। इस समय तक सती प्रथा समाज में सम्मान का विषय हो गया। पहले तो नारी स्वयं अपने पति के मरने पर उसके साथ जलकर सती हो जाती थी। समय के साथ यह प्रथा नारियों की इच्छा के विरुद्ध उन पर लाद दी गयी। बेमेल विवाह से नारी काफी विधवा होती थी और उन्हें पकड़कर आग में जबरन जला दिया जाता था। अग्नि में उनके जीवित जलते समय उनकी चीख–पुकार, चीत्कार को दबाने के लिए ढोल–नगाड़े आदि बजाये जाते थे।

आधुनिक युग

बंगाल में सती प्रथा का बाहुल्य था, वहाँ इस प्रथा के अनुसार हिन्दू विधवा अपने मृत पति के शव के साथ चिता में जीवित जला दी जाती थी। संभवतः कुछ नारियाँ स्वेच्छा से सती होती थी, पर अनेक ऐसी भी नारियाँ होती थी जो सामाजिक सम्मान, संबंधियों के भय और दबाव के कारण बाध्य होकर चिता पर जलती थीं समाज में अनेक नारियाँ जो कि सती नहीं होती थीं, उन्हें परिवार के सदस्य और संबंधी बलपूर्वक सती होने को विवश करते थे और कट्टर हिन्दू लम्बे–लम्बे बांस लेकर चिता के चारों ओर खड़े हो जाते थे, जिससे सती होने वाली विधवा नारी जलती चिता से भागने न पाये। भागने का प्रयास करने पर उसे बाँसों से ढकेल कर चिता के भीतर कर दिया जाता था और जोर–जोर से ढोल बजाये जाते थे, जिससे जलती नारी की चीख पुकार सुनाई न पड़े।

राजा राममोहन राय, महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर तथा समाज सुधारक नेताओं ने इस प्रथा का विरोध किया और इसे बंद करने की माँग की। तत्कालीन भारत के गर्वनर जनरल लार्ड विलियम बेन्टिक (1828–1835) जो स्वयं इस प्रथा को बंद करना चाहते थे, ने विभिन्न क्षेत्रों से इनके तथ्य एकत्रित किये। जब इन्हें इस प्रथा की अमानुषिकता का एवं लोगों से प्राप्त समर्थन का विश्वास हो गया तब उन्होंने 1829 ई. में सती प्रथा के विरुद्ध अपने कौंसिल से नियम पारित करके इसे अनियमित ओर दण्डित घोषित कर दिया।[29] तदन्तर 1933 ई. में कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस प्रथा को प्रोत्साहित करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था भी की गई। बाद में यह कानून बम्बई और मद्रास प्रेसीडेन्सियों में भी लागू कर दिया गया। प्रारंभ में कट्टर हिन्दुओं ने इस कानून का विरोध किया। धीरे–धीरे कानून मान्य सा हो गया पर पितृसत्तात्मक प्रधान समाज ने इसे पूरी तरह नहीं माना। फलतः सती प्रथा यत्र–तत्र चलती रही। अंग्रेजी शासन से परे रियासतों में तो यह प्रथा बंद न हो सकी। फिर भी तत्कालीन समाज सुधारकों एवं बैटिक के प्रयास इस संदर्भ में सराहनीय रहे।

राजा राममोहन राय ने बहु विवाह की प्रथा का भी विरोध किया। उन्होंने यह तर्क शास्त्रकारों ने पुरुषों को एक नारी के जीवित रहते हुये दूसरा विवाह करने की अनुमति विशेष परिस्थियों में ही दी है। जैसे–

- पत्नि बांझ हो।
- दुश्चचरित्र हो।
- असाध्य रोग से पीड़ित हो।
- परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार हो।
- पतिव्रता न हो।
- पति की आज्ञाकारी न हो, ता ऐसी स्थिति में ही पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। अन्यथा सामान्य तौर पर उसे दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं है।

राजा राममोहन राय ने विधवा के समर्थन में जोरदार आंदोलन चलाते हुए बाल–विवाह का जोरदार विरोध किया तथा इसको समाप्त करने का भरसक प्रयास किया। समाज में कन्या व पंजाब आदि इलाकों में कन्या का जन्म होते ही उसे नदी या समुंद्र में फेंक कर, गला घोटकर या माँ के स्तन में अफीम लगाकर स्तनपान के द्वारा विष देकर हत्या कर दी जाती थी। ऐसा कर समाज कन्या के उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करता था। राजपूत घरानों में यह प्रथा रेग्यूलेशन एक्ट' पास करके शिशु हत्याओं पर रोंक लगा दी, और बालिका हत्या को साधारण हत्या के बराबर माना गया। भारतीय रियासतों के रेजीडेन्टो को भी कहा गया कि वे रियासतों में इस कुप्रथा को बंद करने के प्रयत्न करें। इस प्रथा को रोकने के लिए 1870 ई. में भी कुछ कानून बनाये गये।

ब्रह्म समाज एवं राजा राममोहन राय का योगदान

धर्म सुधार का प्रारम्भ देश के पूर्वी भाग बंगाल से हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व राजा राममोहन राय ने किया।[30] 1815 ई. में उनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को चिता में जबरन झोंक दिया गया। इस घटना का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा उन्होंने इस अमानुषिक प्रथा को समापत करने की प्रतिज्ञा ली जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक **'ए कान्फ्रेंस बिटवीन एन एडवोकेट फार एण्ड एन अपोनेन्ट टू दि प्रैक्टिस आफ बर्निंग विंडोज अलाइव'** में किया है। कालांतर में इस प्रथा को समाप्त करने लिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की सहायता से कानून बनवाकर समाप्त भी कराया। इसी कारण राजा राममोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है।

जौहर प्रथा

मध्यकाल में जौहर प्रथा का भी प्रचलन था। यह प्रथा मुख्य रूप से हिंदुओं में प्रचलित थी। जौहर की प्रायः राजपूतों तक ही सीमित थी।[31] जब युद्ध में राजपूत सरदार और उसके पराजय के निकट आ जाते थे तो वे बहुधा अपने स्त्री–बच्चों की हत्या कर डालते या उन्हें तहखाने के किस कमरे में बंद करके भवन में आग लगा देते थे।

मध्यकाल में जौहर प्रथा के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। रणथंभौर के चौहान योद्धा हमीर देव का उदाहरण सर्वविदित है। सम्राट बाबर की लेखनी द्वारा किया गया चंदेरी के मेदनी राय की पराजय और जौहर का बड़ा विशद वर्णन है। राजपूत भी प्राणों का मोह छोड़कर तब तक लड़ते थे जब तक वे समाप्त नहीं हो जाते थे। इस प्रकार अग्नि में जलकर ललनायें अपने सतीत्व की रक्षा करती थीं। विदेशी यात्रियों ने भी इस कार्य की सराहना की है। यह उनके प्रतिव्रत धर्म का एक ज्वलंत उदाहरण है। गोडवाना की रानी दुर्गावती ने भी जौहर किया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर मध्यकाल में हिंदुओं में जौहर का प्रचलन था।

यह प्रथा राजपूत जाति में मध्यकाल में इस्लाम के आक्रमण के समय प्रचलित हुई थी। राजपूत रमणियों को जब यह आशा नहीं रहती थी कि उनके पतियों को लड़ाई में विजय प्राप्त नहीं होती थी तो वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि जलाकर सामूहिक रूप से अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। यह 'जौहर' प्रथा कहलाती थी। राजपूत केसरिया वस्त्र पहनकर हाथ में तलवार लेकर युद्ध भूमि में चले जाते थे जहाँ से जिन्दा लौट पाना असंभव लगता था। ऐसी दशा में उनकी स्त्रियाँ जौहर करती थी।[32]

सल्तनत युग में जौहर

सल्तनत युग में भी जौहर के अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। रणथम्मौर के चौहान लड़ाकू–हम्मीरदेव का उदाहरण सर्वविदित है। अलाउद्दीन की सेना का बहुत समय तक सामना करने के पश्चात् उसने जौहर करवाया। इब्न बतूता अपनी पुस्तक 'रिहैला' में जौहर का भी सजीव वर्णन देता है।

पुरुषों एवं स्त्रियों में जौहर

राज विद्रोही वहा–उद्–दीन गुशस्प को शरण देने के कारण मुहम्मद तुगलक ने कम्पिला के राजा पर आक्रमण किया। जब राजा

ने देखा कि विजय की कोई सम्भावना नहीं है तो उसने शरणार्थी राजा को सर्वप्रथम महल से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। इसके पश्चात् उसने विशाल अग्नि प्रज्ज्वलित करने का आदेश दिया और कहा, मैंने मरने का निश्चय किया है, जिसकी इच्छा हो, मेरा अनुसरण करें। प्रत्येक स्त्री ने स्नान किया और अपने शरीर पर चन्दन का लेप किया। इसके पश्चात् वे अग्नि में प्रविष्ट हो गई। मन्त्रियों तथा शाही घराने से सम्बन्धित स्त्रियों ने भी इसका अनुसरण किया। राजा तथा उसके सैनिकों ने स्नान करके चन्दन का लेप किया और हथियार लेकर मैदान में आ गये और इस समय तक युद्ध करते रहे, जब तक प्रत्येक सैनिक मर नहीं गये।

उपर्युक्त विवरण से सल्तनत युग में स्त्रियों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यह सत्य है कि प्राचीन काल की अपेक्षा उनकी दशा गिरती जा रही थी। बाल–विवाह, बहुविवाह इत्यादि कुरीतियों का प्रादुर्भाव हो गया था। मुसलमानों के आने से भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आ गए थे। पर्दा–प्रथा, बहु–विवाह इत्यादि इन्हीं की देन कहे जाते हैं। वास्तव में मुस्लिम वर्म की तुलना में हिन्दू नारियों की दशा खराब थी।

सल्तनतकाल में भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सदैव से एक समस्या रही है। समय के साथ–साथ उनकी दशा में महान् परिवर्तन होते गये। प्राचीन काल में उनकी दशा ठीक रही परन्तु बौद्ध काल से उनकी दशा का पतन आरम्भ हुआ। जो सल्तनत युग तक निरन्तर जारी रहा है। नारी को फसाद एवं पतन कारण माना जाने लगा। भारतीय विद्वानों एवं आलोचकों ने तो सदैव स्त्री को निन्द्र की दृष्टि से देखा। इस युग में जर जोऊ एवं जमूर झगड़े के तीन कारण माने जाने लगे। इसी प्रकार कबीरदास ने भी कहा था–**''इक कनक एक कामिनी, दुर्गम घाटी दोय।''** वास्तव में इस युग में नारी की दशा अत्यन्त ही शोचनीय थी। इस युग में रजिया, पद्मावती प्रमुख नारी पात्र रही।

प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में स्त्रियों की दशा में निरन्तर गिरावट आती गई फिर भी उनको आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था। हिन्दू परिवारों में स्त्री गृहस्वामिनी समझी जाती थी और कोई भी धार्मिक कृत्य उसके बगैर नहीं होता था। इसलिए उसे धर्म पत्नी भी कहा जाता था। [33] उसे पुरुष की अर्द्धांगिनी समझा जाता था परन्तु इतना होते हुए भी उन्हें पूर्णतया स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी और उसे पारिवारिक एवं सामाजिक नियंत्रण में रहना पड़ता था। वही पुत्र के रूप में माता–पिता, पत्नी के रूप में पति तथा विधवा के रूप में अपने बड़े पुत्र के संरक्षण में रहती थी। हिन्दुओं में उसका जन्म होना शुभ नहीं माना जाता था। कुछ काबीलों में तो उसे तुरन्त ही जान से मार दिया जाता था। यदि वह जीवित रह भी जाती तो उसे पति के साथ बिना सोचे समझे गाय के खूँटे के समान बाँध दिया जाता था। गर्भावस्था में स्त्री की मृत्यु हो जाय तो यह माना जाता था कि उसकी आत्मा चुडैल के रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार जन्म से मृत्यु पर्यन्त उसकी स्थिति शोचनीय ही रहती थी।

हिन्दू मान्यता एवं चिन्तन के अनुसार स्त्री का कार्य पुरुष की सेवा करना था। यदि वह पुत्र को जन्म देती तो भाग्यशालिनी समझी जाती थी। वास्तव में उसे गृहकार्य करना एवं गृह को शुद्ध एवं पवित्र रखना उसी का कार्य होता था। अपने पति को प्रसन्न करने में उसे अपूर्व आनन्द प्राप्त होता था। पति भी उसकी सहायता से गृहकार्य में उत्साहपूर्वक मदद करता था। कुछ स्त्रियों को छोड़कर अधिकतर नारियों की दशा गृहस्थों में तो ठीक ही होती थी।

पुनर्विवाह की छूट

हिन्दू परिवारों के समान मुस्लिम समाज में स्त्री पर नियंत्रण नहीं था। वह तलाक के बाद पुनः विवाह कर सकती थी।

पुरुषों के साथ रहने व घूमने की आजादी नही

पर स्त्री को पुरुष साथियों के साथ रहने एवं घूमने की आज्ञा नही थी। मुसलमानों में भी लड़की के साथ खेलने वाले साथी या तो लड़कियाँ ही होती थी या लड़कों में उसके भाई होते थे। शादी के पश्चात् वह अपने पति के साथ रहती थी। पति के घर अन्य सपत्नियारें एवं सदस्यों के कारण आपस में कलह भी हो जाती थी। स्त्री को सदा दया की दृष्टि से देखा जाता था।

नारी हत्या जघन्य अपराध

स्त्री रक्त बहाना एक जघन्य अपराध समझा जाता था पुरुष के ऊपर आश्रित रहने के कारण उसकी दशा शोचनीय थी।

रक्त समूह में विवाह की पाबंदी

मुस्लिम परिवार में रक्त समूह में भी विवाह करने की अनुमति रहती थी। बहन–भाई, भान्जी से ही विवाह निषेध रहता था।

निष्कर्ष

मध्य कालीन भारत का दायरा काफी कुछ विस्तृत है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के समाप्त होते ही मध्यकाल या यूँ कहें हिन्दू मध्य काल या राजपूत काल की शुरुआत हो जाती है। इस राजपूत काल में कुछ ऐसी परम्परायें प्रवर्तित हुई, जो जीवन से जुड़ गई। सती परम्परा व जौहर परम्परा उनमें से प्रमुख हैं। मुझे गुप्तकाल में सती–प्रथा के उल्लेख प्रायः नहीं मिलते। रामगुप्त की विधवा ध्रुवस्वामिनी ने अपने देवर चन्द्रगुप्त से विवाह कर लिया था। हाँ, उत्तर–गुप्त काल में सती के कुछ उल्लिखित सन्दर्भ मिलते हैं पर उत्तर–गुप्त काल के बाद सती की परम्परा बढ़ती चली गई। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री ने सती होने का प्रयास किया, पर हिन्दू मध्य काल (राजपूत काल) में सती की परम्परा तीव्रता से बढ़ी। अलबिरूनी ने सती के जो विवरण दिये हैं साफ है कि विधवा मानों सती परम्परा से बाँध दी गई थी। उसे मृत पति के साथ जलना ही पड़ता था। इसी राजपूत काल में सती सहभरण के अतिरिक्त अनुभरण से भी सती हो जाती थी। इसी प्रकार राजपूत काल में स्त्रियाँ जौहर की प्रथा से भी बाँध दी गई। राजपूत जब युद्ध में बलिदान के लिये कूद पड़ते थे तब उस दुर्ग की सभी औरतें अग्नि–कुण्ड में कूदकर जौहर कर भष्म हो जाती थीं। इस परम्परा का अनुकरण राजपूतानियाँ ही नहीं उनकी परिचारिकायें भी करती थीं। हजारों–हजार स्त्रियाँ इस प्रकार जौहर में जिन्दा जलकर राख हो जाती थीं।

संदर्भ

1. पोजीशन आफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन बनारस 1956, पृ 129 ।
2. अपरार्क पृ 111, मदन परिजात पृ 198, गाथा सप्तसती 7/32।
3. वराहमिहिर, वृहत संहिता 74/16
4. हर्षचरित, पांचवा उच्छावास।
5. फ्लीट, पृ 91 ।
6. मिश्रा, अर्चना 2015 – नारी के सामाजिक स्थिति का पुनरावलोकन, विन्ध्य भारती (शोध पत्रिका, अ.प्र.सिं.वि.वि. रीवा, 12;प्प्द्ध पृ. 105–111.
7. मिश्रा, अर्चना 2015 – भारतीय नारी का राजनैतिक स्वत्व और महिला आरक्षण, विन्ध्य भारती (शोध पत्रिका, अ.प्र.सिं.वि.वि. रीवा, 12(IV) पृ. 98–103.
8. इंडियन एंटीक्वेरी जिल्दी 9, पृ 164 ।
9. एपीग्रैफिया इंडिका जिल्द 14, पृ 265, 267।

10. राजतरंगिणी, 7/481।
11. राजतरंगिणी, 7/1380 ।
12. इंडियन एककटीक्वेरी, जिल्द 35, पृ 129 ।
13. सखाऊ,अब्लेरूनीज इंडिया, भाग दो, 155।
14. आइने अकबरी, अनुवादक एच.एस गैरट, कलकत्ता 1891, भाग दो पृ 191–192।
15. मेधातिथि की टीका, मनृस्मृति 5/156।
16. धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 1, पृ 350।
17. राजतरंगिणी III/123, V 220-226, 245-246, VI 107, 138, 195।
18. याज्ञवल्क्य, 1/86 पर मिताक्षरा, अपरार्क, पृ 110 शुद्धितत्व पृ 243, पाराशर 4/32–33।
19. याज्ञवल्क्य, 1/86, मदन परिजात, पृ 186, स्मृतिमृक्ताफल, संस्कार, पृ 162।
20. स्मृतिचंद्रिका व्यवहार पृ 254।
21. तुलनीय शाह–130 संभवतः निम्न वर्ग की स्त्री अपने पति के शव के साथ दहलीज तक ही आती थी उसके आगे केवल पुरुष संबंधी ही जा सकते थे ।
22. डॉ.एस.एम पहाड़िया–मध्यकालीन भारतीय संस्कृति का इतिहास पृ 152 ।
23. डॉ. धीरेन्द्र – दमोह एक ऐतिहासिक खोज, पृ. 121
24. कनर्ल, टॉड – राजस्थान का इतिहास, पृ. 124
25. वि.वि. ठाकुर–देवी श्री अहिल्याबाई, पृ. 92
26. इब्न बतूता–रहना–ए–इब्न बतूता, पृ. 123
27. डी.सी. भारद्वाज– मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास पृ 52
28. विपिन बिहारी सिन्हा–मुगल भारत पृ 143
29. जुआन लेडले एवं रमा जोशी, 'डाटर्स आफ इंडिपेंडेंस' पृ. 27
30. राजा राम मोहन का जन्म 22 मई सन् 1772 में बंगाल के वर्दमान जिला स्थित राधानगर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि तथा विद्रोही स्वभाव के थे। इन्होंने 1803 ई. में मूर्तिपूजा के विरूद्ध 'तूहफतुत मुवाहिद्दीन' नामक फारसी में एक ग्रंध लिखा। इनकी मृत्यु 27 सितम्बर 1831 ई. में ब्रिस्टल में हुई।
31. ''जौहर'' शब्द 'जानुगृह' लाख या अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बने घर में महाभारत की उस कथा से लिया गया है जिसमें इस प्रकार के भवन में आग लगाकर पाण्डवों को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया था।
32. गो. ही. ओझा – राजपूताने का इतिहास, पृ. 131
33. धार्मिक कार्य (यज्ञ, अनुष्ठान आदि) साथ में करने से ही धर्म पत्नी कहा जाने लगा।